भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं-1829
उत्तर देने की तारीख-13/02/2023

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति

†1829. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा मिशन के अंतर्गत शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) केंद्र व राज्य सरकारों के बीच उनके पारिश्रमिक की राशि साझा करने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;
(ग) उन शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किये जाने के प्रबंधन की दृष्टि से क्षेत्राधिकार का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या देश में कहीं भी इन शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और सभी शिक्षकों की भर्ती, वेतन और सेवा के नियमितीकरण के निबंधन और शर्तें संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शासित और विनियमित हैं, जैसा कि उनके संबंधित नियमावली/विनियम/अधिसूचनाओं में निर्धारित किया गया है।

केंद्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को लागू करती है, जिसके माध्यम से योजना के प्रचलित मानदंडों/फंड शेयरिंग पैटर्न के अनुसार, शिक्षकों को वेतन सहायता सहित विभिन्न घटकों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि प्रदान की जाती है जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, जहां निधि का अनुपात 90:10 है, को छोड़कर केंद्र और सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के अनुपात में है। यह बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय प्रायोजित है।

*****